# न्यायालय उप जिलाधिकारी, छाता जनपद मथुरा ।

वाद संख्या 71 /2014–15

श्रीमती अंगूरी देवी

बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

अर्न्तगत धारा– 143 ज0वि0एवंभू0व्य0अधि0

मौजा–सहार तहसील छाता (मथुरा)

## आदेश

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अर्न्तगत प्रार्थीया श्रीमती अंगूरीदेवी शिक्षा समिति गांव गंगा नगरा राया मथुरा द्वारा प्रबन्धक देवीचरन शर्मा पुत्र दिगम्बर सिंह निवासी म0न0 2 कृष्णबिहार मथुरा काश्तकार मौजा सहार तहसील छाता जिला मथुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ दिनांक 10.2.15 को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी मौजा सहार के खाता संख्या 315 खसरा संख्या 807 रकवा 3.209 है0 व ख0स0 808 रकवा 0.494 है0 कुल दो किता कुल रकवा 3.703 है0 मे से रकवा 1.011 है0 पर संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है तथा मौके पर काबिज द दखील है । यह कि उक्त भूमि के आपासी के साधन समाप्त हो चुके है । उक्त भूमि आवादी के प्रयोग मे लायी जा रही है । यह कि उपरोक्त भूमि कृषि कार्य के प्रयोजन मे नही लाई जा रही है और न ही कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वागवानी पालन आदि के प्रयोजन मे लाई जा रही है । अन्त मे प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उक्त भूमि को अकृषक घोषित किया जावें ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच नायव तहसीलदार छाता से कराई गई । नायव तहसीलदार छाता ने अपनी जांच आख्या दिनांक 25.2.15 के माध्यम से अबगत कराया है कि प्रार्थीया मौजा सहार के खाता संख्या 315 खसरा संख्या 807 रकवा 3.209 है0 व ख0स0 808 रकवा 0.494 है0 कुल दो किता कुल रकवा 3.703 है0 मे से रकवा 1.011 है0 पर संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज कागजात है तथा मौके पर काबिज द दखील है । यह कि उक्त भूमि के आपासी के साधन समाप्त हो चुके है । उक्त भूमि आवादी के प्रयोग मे लायी जा रही है । यह कि उपरोक्त भूमि कृषि कार्य के प्रयोजन मे नही लाई जा रही है और न ही कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वागवानी पालन आदि के प्रयोजन मे लाई जा रही है । यह कि । पुष्टि हेतु नकल खतौनी, खसरा,, शपथ पत्र सी.एच. 41, 45, नक्शा संलग्न है । अन्त मे अकृषक घोषित किए जाने हेतु जांच आख्या प्रेषित की है।

अतः प्रार्थीया के स्वयं के शपथ पत्र तथा तहसीलदार छाता की उक्त संस्तुति आख्या दिनांक 25.2.15 के आधार पर उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अर्न्तगत उक्त भूमि को निम्न प्रारूप पर इस शर्त के साथ अकृषक घोषित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि पर भविष्य मे कृषि कार्य होता पाया जाता है तो कृषि भूमि मानकर भू–राजस्व इत्यादि योजित कर दिया जावेगा । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जावें ।

| | | |
|---|---|---|
| 1– किस धारा के अर्न्तगत आवादी घोषित की जा रही है । | – | धारा 143 ज.वि.एव भू.व्य.अधि. |
| 2– भूमि किस ग्राम मे स्थित है । | – | सहार |
| 3– भूमि का विवरण | – | खाता संख्या 292 ख0स0 807/3.209 है0 व ख0स0 808 रकवा 0.494 है0 कुल दो किता कुल रकवा 3.703 है0 मे से रकवा 1.011 है0 |
| 4– भूराजस्व | – | 16.65 रू0 |
| 5– भूमिधर का नाम द पता | – | प्रार्थीया श्रीमती अंगूरीदेवी शिक्षा समिति गांव गंगा नगरा राया मथुरा द्वारा प्रबन्धक देवीचरन शर्मा पुत्र दिगम्बर सिंह निवासी म0न0 2 कृष्णबिहार मथुरा |

(सुरेन्द्र सिंह) 26/2/15

उप जिलाधिकारी, छाता

प्रतिलिपि– 1– तहसीलदार, छाता को दो प्रतिया इस निर्देश के साथ कि अभिलेखो मे इन्द्राज कराकर एक प्रति वापस भेजी जाय ।

2– उप निबन्धक छाता को दो प्रतिया इसके साथ प्रेषित है कि पंजीकृत कर एक प्रति वापस भेजी जाय

TRUE COPY 28-2-15

(सुरेन्द्र सिंह) 26/2/15

उप जिलाधिकारी, छाता

# कार्यालय तहसीलदार, तहसील छाता, जिला मथुरा (उ०प्र०)

पत्रांक 2019/38 दिनांक 8/01/2019

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, खाता सं0 315 खसरा सं0 807 व 808 कुल रकबा 1.011 हैक्टेयर (2.46 एकड), स्थित ग्राम सहार, तहसील छाता जिला मथुरा (उ0प्र0) जो कि श्रीमती अंगूरी देवी शिक्षा समिति से सम्बन्धित है।

उक्त भूमि मे कोई सरकारी रास्ता, नदी अथवा सरकारी नाली, रेलवे लाईन व हाई टेन्सन लाईन इत्यादि नहीं हैं।

तहसीलदार
छाता (मथुरा)